

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 11-10-25



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Saturday, 11 Oct, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 Syllabus : GS 2 : International Relations/ Prelims	भारत के काबुल मिशन को दूतावास में अपग्रेड किया गया
Page 01 Syllabus : Prelims	वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार
Page 05 Syllabus : GS 2 & 3 : Governance and Environment	चिनाब पर पनबिजली परियोजना को मंजूरी मिली
Page 05 Syllabus : GS 2 : Indian Polity/ Prelims	6 राज्य स्तरीय आरटीआई पैनल निष्क्रिय; अपील में देरी
Page 06 Syllabus : GS 2 : Governance	एनसीआरबी 2023 रिपोर्ट: साइबर अपराध और आदिवासियों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि
Page 06 : Editorial Analysis Syllabus : GS 1 : Social issues	भारत में एक समग्र जनसांख्यिकीय मिशन की आवश्यकता परिचय

भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नई दिल्ली में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के साथ बैठक के दौरान यह घोषणा की। यह कदम अमेरिकी सेना की वापसी के बाद 2021 में दूतावास बंद होने के बाद अफगानिस्तान में भारत की राजनयिक उपस्थिति को फिर से स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

India's Kabul mission to be upgraded to embassy

Jaishankar announces this while meeting Taliban's Muttaqi; condemns refugee repatriation by Pak.

Muttaqi welcomes decision; says diplomats will go to Afghan Embassy, may not send Ambassador initially

Jaishankar says India, Afghanistan share growth goals; cross-border terror a common challenge

Kallol Bhattacharjee
NEW DELHI

India will upgrade its 'technical mission' in Kabul to the status of an embassy, External Affairs Minister S. Jaishankar said on Friday.

The announcement came during Mr. Jaishankar's meeting with Amir Khan Muttaqi, Foreign Minister of the Taliban administration in Afghanistan, at Hyderabad House. Mr. Jaishankar also raised India's concerns over the forced repatriation of Afghan refugees by Pakistan and described "cross-border terrorism" as a common challenge to both India and Afghanistan.

"India is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development, as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India," said Mr. Jaishankar.

India had shut its embassy in Kabul in 2021 after the U.S.-led forces withdrew from Afghanistan.

In an interaction at the Embassy of Afghanistan, Mr. Muttaqi welcomed the decision and said, "We will send our diplomats to the Embassy of Afghanistan." He clarified that the Taliban may not send an ambassador at the beginning.

TTP leader killed

Mr. Jaishankar noted that India and Afghanistan share a "common commitment towards growth and



Reaching out: S. Jaishankar with Afghanistan's Foreign Minister Amir Khan Muttaqi in New Delhi on Friday, AMI

prosperity" but cautioned that "these are endangered by the shared threat of cross-border terrorism that both our nations face." He did not name Pakistan but urged Mr. Muttaqi to "coordinate efforts" to counter the threat.

The meeting took place

hours after an explosion in Kabul reportedly killed Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) leader Mufti Noor Wali Mehsud, a claim later denied by TTP sources.

Mr. Jaishankar thanked Kabul for condemning the terror attack in Pahalgam on April 22, which killed 26

Pak. violating Kabul's sovereign territory: Taliban

KABUL

The Taliban regime on Friday accused Pakistan of "violating Kabul's sovereign territory", a day after two explosions were heard. The Taliban have previously accused Islamabad of border strikes, but this is the first time they have alleged an incursion deep into their territory, calling it an "unprecedented act". » PAGE 12

people, saying, "We appreciate your sensitivity towards India's security concerns." He also reiterated India's commitment to facilitating travel for Afghan nationals through a new visa module introduced in April 2025, with more medical, business, and stu-

dent visas being issued.

A joint statement issued after the meeting of the officials said that scholars from the Indian Council for Cultural Relations (ICCR) and other organisations are "under active consideration" to enable more Afghan students to study in India.

Mr. Muttaqi had earlier met Foreign Secretary Vikram Misri in Dubai on January 8, where the two sides discussed the roadmap for bilateral relations amid evolving regional developments. Since assuming power, the Taliban has established diplomatic ties with several countries, including Russia and China. Mr. Muttaqi arrived in New Delhi from Moscow, where he attended the Moscow Format Dialogue.

Global recognition of the Taliban government –

the Islamic Emirate of Afghanistan – has been impeded by concerns over the human rights situation in the country, which did not feature in Mr. Jaishankar's remarks. Highlighting the importance of Mr. Muttaqi's first visit to New Delhi, Mr. Jaishankar said, "...a meeting between us in person has a special value in allowing us to exchange perspectives, identify common interests and forge closer cooperation." The Minister also announced six new health projects for Afghanistan, with details to be shared soon. India will gift 20 ambulances to Afghanistan as a "symbolic step". The visiting side also invited Indian companies to invest in the mining sector of Afghanistan.

'WON'T ALLOW TERRORISTS' » PAGE 3

स्थैतिक संदर्भ (पृष्ठभूमि)

• भारत-अफगानिस्तान संबंध

- ऐतिहासिक रूप से, भारत और अफगानिस्तान मजबूत सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध साझा करते हैं।
- भारत ने प्रमुख विकास परियोजनाओं में निवेश किया है: सलमा बांध, संसद भवन, सड़क नेटवर्क, बिजली परियोजनाएं।
- अफगानिस्तान भारत की पड़ोसी पहले नीति और कनेक्ट मध्य एशिया नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

• दूतावास बनाम तकनीकी मिशन

- तकनीकी मिशन: दायरे में सीमित, मानवीय सहायता, तकनीकी सहायता और सहायता पर ध्यान केंद्रित करना।
- दूतावास: पूर्ण राजनयिक उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है - राजनीतिक संवाद, कांसुलर सेवाएं, विकास परियोजनाएं और सांस्कृतिक आदान-प्रदान।

• अफगानिस्तान में चुनौतियाँ

- 2021 में तालिबान के कब्जे ने अस्थिरता और अनिश्चितता को जन्म दिया।

- सीमा पार आतंकवाद (विशेष रूप से पाकिस्तान से उत्पन्न) भारत और अफगानिस्तान दोनों के लिए एक आम चिंता का विषय है।

वर्तमान संदर्भ (समाचार विशिष्टताएँ)

- भारत ने अपने काबुल मिशन को दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की।
- तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने इस कदम का स्वागत किया, हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि शुरुआत में राजदूत नहीं भेजा जाएगा।
- भारत ने पाकिस्तान द्वारा अफगान शरणार्थियों को जबरन वापस भेजने पर चिंता जताई।
- सीमा पार आतंकवाद, विशेष रूप से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) की गतिविधियों पर चर्चा की गई।
- भारत ने घोषणा की:**
 - अफगानिस्तान के लिए छह नई स्वास्थ्य परियोजनाएं।
 - एक प्रतीकात्मक इशारे के रूप में 20 एम्बुलेंस।
 - आईसीसीआर और अन्य कार्यक्रमों के तहत अफगान छात्रों के लिए छात्रवृत्ति।
- तालिबान ने पाकिस्तान पर सीमा पार से हमलों के जरिए काबुल की संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

महत्व:

भारत के लिए

- अफगानिस्तान में फिर से रणनीतिक उपस्थिति स्थापित की।
- क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं (चाबहार पोर्ट, आईएनएसटीसी) को मजबूत करता है।
- आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तालिबान को शामिल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

अफगानिस्तान के लिए

- भारत से मानवीय और विकास समर्थन निरंतर प्राप्त हुआ।
- अफगान छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और शिक्षा के अवसर।
- खनन क्षेत्र में निवेश के अवसर।

क्षेत्रीय भू-राजनीति के लिए

- रूस और चीन पहले से ही तालिबान के साथ जुड़ रहे हैं; भारत के इस कदम से उसकी क्षेत्रीय भूमिका मजबूत हुई है।
- पाकिस्तान भारत-तालिबान की बढ़ती बातचीत को लेकर असहज महसूस कर सकता है।

चुनौतियाँ:

- तालिबान शासन को वैश्विक मान्यता का अभाव है।
- मानवाधिकारों और महिलाओं के अधिकारों पर चिंताएं बनी हुई हैं।
- भारत को लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए तालिबान के साथ व्यावहारिक जुड़ाव को संतुलित करना चाहिए।

निष्कर्ष:

अपने मिशन को दूतावास में अपग्रेड करने का भारत का निर्णय उसके व्यावहारिक विदेश नीति दृष्टिकोण को उजागर करता है। यह आतंकवाद और अस्थिरता जैसी साझा चुनौतियों का समाधान करते हुए अफगानिस्तान में भारत की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। यह कदम अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करने, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने और विकास सहयोग को मजबूत करने के भारत के इरादे को दर्शाता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न। हाल ही में समाचारों में "काबुल में तकनीकी मिशन" शब्द किस देश से संबंधित है?

- (a) ईरान
- (b) अफगानिस्तान
- (c) नेपाल
- (d) बांग्लादेश

उत्तर: (b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: काबुल में अपने तकनीकी मिशन को एक दूतावास में अपग्रेड करने के भारत के फैसले के रणनीतिक और भू-राजनीतिक प्रभावों की जांच करें। **(250 शब्द)**

वेनेजुएला में लोकतांत्रिक परिवर्तन लाने के लिए उनके संघर्ष के लिए वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। उन्हें एक "प्रमुख एकीकृत व्यक्ति" के रूप में मान्यता दी गई है, जिन्होंने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के तहत सत्तावादी शासन के बीच लोकतंत्र की लौ को जीवित रखा। यह सत्तावादी शासनों में लोकतंत्र, मानवाधिकारों और राजनीतिक स्वतंत्रता के वैश्विक महत्व पर प्रकाश डालता है।

Venezuela's Opposition leader María Machado wins Nobel Peace Prize 'promoting democracy'

Associated Press
OSLO

Venezuelan Opposition leader María Corina Machado won the Nobel Peace Prize on Friday for her struggle to achieve a democratic transition in the South American nation, winning recognition as a woman "who keeps the flame of democracy burning amid a growing darkness".

The former Opposition presidential candidate is a "key, unifying figure" in the once deeply divided Opposition to President Nicolás Maduro's government, said Jørgen Watne Frydnes, chair of the Norwegian Nobel committee.

Reacting to the honour, Ms. Machado said she was



María Corina Machado is a 'key, unifying figure' in the once deeply divided Opposition to President Nicolás Maduro's government. AFP

confident the Opposition would succeed in securing a peaceful transition to democracy in her country.

"We're not there yet. We're working very hard to achieve it, but I'm sure that we will prevail," she told Kristian Berg Harpviken, the director of the Nobel

Institute and secretary of the Nobel Committee.

Dedicates win to Trump
"I dedicate this prize to the suffering people of Venezuela and to President Trump for his decisive support of our cause!" she later wrote on X.

"This is something that the Venezuelan people deserve," Ms. Machado said in a call with the Norwegian Nobel Institute. "I'm honored not only by this recognition, but I'm honored to be part of what's going on in Venezuela today."

"In the past year, Ms. Machado has been forced to live in hiding," Mr. Frydnes said. "Despite serious threats against her life, she has remained in the country... When authoritarians seize power, it is crucial to recognise courageous defenders of freedom who rise and resist."

Mr. Maduro's government has routinely targeted its real or perceived opponents.

Ms. Machado, 58, was

set to run against Mr. Maduro in last year's presidential election, but the government disqualified her.

The crackdown on dissent only increased after the country's National Electoral Council, which is stacked with Maduro loyalists, declared him the winner despite credible evidence to the contrary. The election results announced by the Electoral Council sparked protests to which the government responded with force that ended with more than 20 people dead.

Ms. Machado becomes the 20th woman to win the Nobel Peace Prize.

(With inputs from AFP)

TRUMP'S QUEST
» PAGE 13

स्थैतिक संदर्भ (पृष्ठभूमि)

- नोबेल शांति पुरस्कार
 - अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत (1901) के तहत स्थापित।
 - शांति, मानवाधिकार, लोकतंत्र या मानवीय प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए व्यक्तियों या संगठनों को सालाना सम्मानित किया जाता है।
- वेनेजुएला के राजनीतिक संकट के बारे में
 - वेनेजुएला, जो कभी तेल समृद्ध था, आर्थिक पतन, राजनीतिक उथल-पुथल, हाइपरइन्फ्लेशन और बड़े पैमाने पर प्रवासन का सामना कर रहा है।
 - निकोलस मादुरो 2013 से शासन कर रहे हैं, जिन पर चुनावी हेरफेर, अधिनायकवाद और मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
 - विपक्षी नेताओं को अक्सर उत्पीड़न, अयोग्यता और निर्वासन का सामना करना पड़ता है।

• मारिया कोरिना मचाडो

- विपक्ष के नेता और राष्ट्रपति पद के पूर्व उम्मीदवार।
- मादुरो की सरकार के मुखर आलोचक।
- सबसे आगे रहने के बावजूद 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया गया।
- स्वतंत्र चुनाव, कानून के शासन और लोकतांत्रिक शासन की वकालत करते हैं।

वर्तमान संदर्भ (समाचार विशिष्टताएँ)

- मचाडो को "अंधेरे के बीच लोकतंत्र की लौ को जलाए रखने" के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला।
- धमकियों के कारण उसे छिपने के लिए मजबूर किया गया है लेकिन वह अपनी सक्रियता जारी रखती है।
- उन्होंने इस पुरस्कार को वेनेजुएला के पीड़ित लोगों को समर्पित किया और इसका श्रेय अंतरराष्ट्रीय समर्थन दिया।
- यह पुरस्कार ऐसे समय में मिला है जब मादुरो के असहमति को दबाने की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही निंदा हो रही है।
- वेनेजुएला की राष्ट्रीय चुनाव परिषद, जो सरकारी वफादारों से भरी हुई है, ने लोकप्रिय समर्थन के बावजूद उनकी उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित कर दिया।
- इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को हिंसक रूप से दबा दिया गया, जिसमें 20 से अधिक लोग मारे गए।

महत्व:

वेनेजुएला के लिए

- विपक्ष को अंतरराष्ट्रीय मान्यता और वैधता प्रदान करता है।
- लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों को प्रेरित करता है और मादुरो के शासन पर दबाव बढ़ाता है।
- निष्पक्ष चुनाव और लोकतांत्रिक सुधारों की उम्मीदों को बढ़ावा दे सकता है।

दुनिया के लिए

- अधिनायकवाद और लोकतंत्र के क्षरण पर वैश्विक चिंताओं पर प्रकाश डाला।
- सॉफ्ट पावर कूटनीति के एक उपकरण के रूप में नोबेल पुरस्कार की भूमिका को मजबूत करता है।
- सत्तावादी राज्यों में लोकतांत्रिक संघर्षों का सम्मान करने के लिए एक मिसाल कायम करता है।

भारत के लिए (यूपीएससी संदर्भ में अप्रत्यक्ष प्रासंगिकता)

- लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करने वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत के रुख को मजबूत करता है।

- लोकतंत्र, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के विषयों के तहत जीएस -2 के लिए एक तुलनात्मक अध्ययन बिंदु प्रदान करता है।

चुनौतियों

- मादुरो की सरकार अभी भी राज्य संस्थानों, सेना और न्यायपालिका को मजबूती से नियंत्रित करती है।
- विपक्षी नेता उत्पीड़न, गिरफ्तारी या अयोग्यता के प्रति संवेदनशील रहते हैं।
- वेनेजुएला के राजनीतिक ध्रुवीकरण और आर्थिक संकट के कारण लोकतांत्रिक संक्रमण में देरी हो सकती है।

निष्कर्ष:

मारिया कोरिना मचाडो का नोबेल शांति पुरस्कार अधिनायकवाद के खिलाफ प्रतिरोध और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की वैश्विक मान्यता का प्रतीक है। जबकि चुनौतियां बनी हुई हैं, यह पुरस्कार वेनेजुएला के विपक्ष की आवाज को मजबूत करता है और लोकतंत्र और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक प्रासंगिकता की पुष्टि करता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: नोबेल शांति पुरस्कार 2024 मारिया कोरिना मचाडो को किस देश में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए प्रदान किया गया?

- (a) चिली
- (b) वेनेजुएला
- (c) क्यूबा
- (d) कोलंबिया

उत्तर: (b)

पर्यावरण मंत्रालय की शीर्ष समिति ने जम्मू-कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी पर सावलकोट पनबिजली परियोजना को नई पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है। अप्रैल 2023 में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि (IWT) के भारत के निलंबन के बाद मंजूरी प्राप्त करने वाली सिंधु बेसिन नदियों पर यह पहली बड़ी जलविद्युत परियोजना है। इस निर्णय का विकासात्मक और रणनीतिक दोनों महत्व है।

Hydropower project on Chenab gets clearance

The Sawalkote project was first accorded an environmental clearance in 2017; the suspension of the Indus Waters Treaty with Pakistan added momentum to the approval process, says official

Jacob Koshy
NEW DELHI

An apex committee of the Environment Ministry has accorded a fresh environmental clearance to the Sawalkote hydroelectric project, proposed to come up on Chenab river in Ramban, Jammu and Kashmir.

Planned as a run-of-the-river project utilising the flow of the Chenab to generate electricity, it is reportedly the first major hydropower project on the Indus rivers to be accorded environmental clearance following India's suspension of the Indus Waters Treaty (IWT) on April 23, following the Pahalgam terror attack.

"The Expert Appraisal Committee (EAC), after examining the information submitted and detailed deliberations, reiterated its earlier recommendation on the project and recommended the proposal for grant of prior Environmental Clearance to Sawalkote H.E. Project," said the minutes of a meeting conducted on September 26.

The project was first accorded an environmental clearance by a designated committee in 2017, when it



Earliest project: A view of the Salal Dam on the Chenab river in Jammu and Kashmir. ANI

was originally being steered by the Jammu and Kashmir Power Development Corporation (JKPDC). However, the JKPDC signed a deal with the National Hydro Power Corporation (NHPC) Ltd. in 2021 to build and commission the project and be effectively in charge of it until 2061.

Despite the designated committee's nod, the Environment Ministry could not clear the project as the JKPDC could not procure a forest clearance - which follows a parallel approval process. In September 2023, the project was first accorded a 'stage 1 forest clearance' as per publicly

available records.

While the process of transferring the project to the NHPC has been on since 2021, a slew of approvals from the Central Electricity Authority and the Central Water Commission were accorded in July 2025. Public hearings, required to be done under the provisions of the Forest Rights Act, were done between December 2022 to February 2023.

"The Sawalkote project was already going through various stages of approval. Given its size - though it does not have a storage dam - it will be the largest project of its kind and has always had certain strateg-

ic importance. The suspension of the IWT and the plan to utilise the full potential of the eastern Indus rivers have added momentum to the approval process," a senior official, aware of the approval process of hydroelectric projects, told *The Hindu*, but declined to be identified.

Project cost goes up

From an earlier estimate of about ₹22,000 crore, estimated cost of the project has ballooned to ₹31,380 crore.

It is projected to have an installed power capacity of 1,856 MW and generate about 8,000 million units of electricity annually.

स्थैतिक संदर्भ (पृष्ठभूमि)

- **चिनाब नदी**
 - हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है।
 - यह सिंधु नदी प्रणाली की एक प्रमुख सहायक नदी है।
- **सिंधु जल संधि (1960)**
 - विश्व बैंक की मध्यस्थता के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर।
 - भारत के लिए सीमित अधिकारों के साथ भारत को पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास, सतलुज) और पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) का पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित किया गया।
 - भारत पश्चिमी नदियों का उपयोग गैर-उपभोग्य उद्देश्यों (जल विद्युत, नौवहन, सीमा के भीतर सिंचाई) के लिए कर सकता है।
- **भारत में जल विद्युत**
 - नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा सुरक्षा और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
 - पेरिस समझौते और जलवायु लक्ष्यों के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं में महत्वपूर्ण।

वर्तमान संदर्भ (समाचार विशिष्टताएँ)

- **परियोजना विवरण:**
 - सावलोकोट परियोजना → रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना (कोई बड़ा भंडारण जलाशय नहीं)।
 - प्रस्तावित स्थापित क्षमता: 1,856 मेगावाट।
 - अनुमानित लागत: ₹31,380 करोड़ (₹22,000 करोड़ के पहले के अनुमान से ऊपर संशोधित)।
 - अपेक्षित वार्षिक उत्पादन: 8,000 मिलियन यूनिट बिजली।
- **संस्थागत विवरण:**
 - प्रारंभ में जम्मू और कश्मीर विद्युत विकास निगम (जेकेपीडीसी) के तहत।
 - 2021 में नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन (NHPC) में स्थानांतरित।
 - जुलाई 2025 तक केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और केंद्रीय जल आयोग से मंजूरी प्राप्त की जाएगी।
 - वन अधिकार अधिनियम के तहत वन मंजूरी (दिसंबर 2022 – फरवरी 2023)।
- **भू-राजनीतिक आयाम:**
 - भारत ने अप्रैल 2023 में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि में भागीदारी को निलंबित कर दिया था।
 - इस कदम ने सिंधु बेसिन नदियों पर पनबिजली परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त गति दी।

महत्व:

भारत के लिए

- स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा के साथ ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है।
- नौकरियों, बुनियादी ढांचे और बिजली आपूर्ति के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- पाकिस्तान की तुलना में पश्चिमी नदियों पर रणनीतिक लाभ बढ़ाता है।

जम्मू और कश्मीर के लिए

- औद्योगिक विकास और ऊर्जा पहुंच को बढ़ावा देता है।
- क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करता है।

- रोजगार पैदा करता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।

क्षेत्रीय राजनीति के लिए

- पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ सकता है, जिसने ऐतिहासिक रूप से सिंधु बेसिन नदियों पर भारतीय परियोजनाओं का विरोध किया है।
- निलंबन के बाद आईडब्ल्यूटी के तहत अपने अधिकारों को अधिकतम करने की दिशा में भारत के बदलाव को दर्शाता है।

चुनौतियों

- पर्यावरण संबंधी चिंताएँ: भूमि का जलमग्नता, जैव विविधता का नुकसान, समुदायों का विस्थापन।
- वित्तीय लागत: परियोजना लागत ₹22,000 करोड़ से ₹ 31,380 करोड़ → बढ़ गई है।
- भू-राजनीतिक जोखिम: पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपत्तियाँ उठा सकता है।
- तकनीकी जोखिम: भूकंपीय रूप से सक्रिय हिमालयी क्षेत्र में होने से भूस्खलन, भूकंप का खतरा बढ़ जाता है।

निष्कर्ष:

सावलोकोट जलविद्युत परियोजना को मंजूरी देना ऊर्जा, विकासात्मक और रणनीतिक प्रभावों के साथ एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भारत के प्रयास और सिंधु जल संधि पर इसके विकसित रुख पर प्रकाश डालता है। हालाँकि, पर्यावरणीय स्थिरता और भू-राजनीतिक स्थिरता के साथ विकास को संतुलित करना परियोजना की दीर्घकालिक सफलता की कुंजी होगी।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: सिंधु जल संधि और भारत के ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों के संदर्भ में चिनाब नदी पर सावलोकोट जलविद्युत परियोजना को आगे बढ़ाने के भारत के निर्णय के महत्व पर चर्चा करें। (250 शब्द)

जैसा कि भारत सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 की 20 वीं वर्षगांठ मना रहा है, एक नागरिक रिपोर्ट एक चिंताजनक प्रवृत्ति का खुलासा करती है: कई राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) और यहां तक कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) या तो निष्क्रिय हैं या गंभीर रूप से कम कर्मचारी हैं। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लंबित मामले सामने आए हैं, जहां आरटीआई अपीलों को हल करने में वर्षों लग सकते हैं - कभी-कभी दशकों भी - शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को कमजोर करते हैं।

6 State-level RTI panels are defunct; appeals can take years to be heard: report

The Hindu Bureau
NEW DELHI

As the 20th anniversary of the Right to Information Act, 2005 approaches, many State Information Commissions (SICs) and the Central Information Commission (CIC) are either paralysed or so understaffed that hearings could take years to happen, according to a report by a citizens' group working to promote transparency in government functioning.

The SICs and the CIC hear appeals and complaints when citizens are dissatisfied with the result of an RTI application. There were over 2.4 lakh appeals in 2024.

The latest edition of the Satark Nagrik Sangathan

(SNS)'s annual assessment shows that six SICs – Jharkhand, Himachal Pradesh, Telangana, Goa, Tripura and Madhya Pradesh – were defunct for varying periods of time between July 1, 2024 to October 7, 2025 as no new Commissioners were appointed upon the incumbents demitting office."

The SICs of Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Tamil Nadu and Bihar are functioning without a full strength of Commissioners.

Meanwhile, the Central Information Commission, which hears appeals against RTI responses to Union government organisations, is functioning with only two Information Commissioners, with nine va-

cancies, including for the Chief Information Commissioner, and hearings can take over a year to come up.

The backlog is mounting, with Commissions only able to dispose of 1.8 lakh cases in a year with 2.4 lakh appeals. In some States, the current speed of hearings taking place is far slower: the SNS's report "shows that the Telangana SIC would take an estimated 29 years and two months – a matter filed on July 1, 2025 would be disposed [of] in the year 2054."

Over 4 lakh appeals and complaints were pending as of June, with Maharashtra (95,340), Karnataka (47,825) and Tamil Nadu (41,059) with the largest outstanding backlog.

स्थैतिक संदर्भ (पृष्ठभूमि)

• आरटीआई अधिनियम, 2005:

- नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने वाला ऐतिहासिक कानून।
- केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयोगों की स्थापना की।
- उद्देश्य: पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करना और भ्रष्टाचार को कम करना।

- **केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी):**
 - केंद्र सरकार के विभागों के खिलाफ अपीलें और शिकायतों को सुनता है।
 - मुख्य सूचना आयुक्त + सूचना आयुक्तों की अध्यक्षता में।
- **राज्य सूचना आयोग (SIC):**
 - राज्य स्तरीय आरटीआई शिकायतों और अपीलों से निपटें।
 - राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त + राज्य सूचना आयुक्तों की अध्यक्षता में।
- **कानूनी सुरक्षा उपाय:**
 - राष्ट्रपति (सीआईसी)/राज्यपाल (एसआईसी) द्वारा नियुक्त आयुक्त।
 - निष्पक्ष कामकाज सुनिश्चित करने के लिए निश्चित कार्यकाल और स्वतंत्रता।

वर्तमान संदर्भ (समाचार विशिष्टताएँ)

- निष्क्रिय SIC: छह राज्यों – झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश – ने जुलाई 2024 और अक्टूबर 2025 के बीच कोई नई नियुक्ति नहीं होने के कारण SIC को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया था।
- आंशिक रूप से काम करने वाली एसआईसी: कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार - आयुक्तों की पूरी संख्या के बिना काम कर रहे हैं।
- सीआईसी स्थिति: वर्तमान में 10 की अनिवार्य संख्या में से केवल दो आयुक्तों के साथ काम कर रहा है।
- **केस बैकलॉग:**
 - 2024 में 2.4 लाख अपीलों दायर की गईं।
 - आयोग सालाना केवल 1.8 लाख मामलों का निपटारा कर सकता है → लंबित मामलों की संख्या बढ़ जाती है।
 - उदाहरण: तेलंगाना SIC को 2025 में दायर अपील को हल करने में 29 साल लग सकते हैं।
- **राज्य-स्तरीय लंबित (जून 2025):**
 - महाराष्ट्र: 95,340
 - कर्नाटक: 47,825
 - तमिलनाडु: 41,059

महत्व:

शासन के लिए

- आरटीआई लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए नागरिकों के जानने के अधिकार को सुनिश्चित करता → महत्वपूर्ण है।
- आयोगों के कमजोर कामकाज से संस्थानों में विश्वास कम हो जाता है।

नागरिकों के लिए

- विलंबित अपीलों भ्रष्टाचार विरोधी उपकरण के रूप में आरटीआई की प्रभावशीलता को कम करती हैं।
- नागरिकों की शिकायतों का समाधान नहीं किया जाता है, जिससे कल्याणकारी अधिकारों तक पहुंच प्रभावित होती है।

पारदर्शिता और लोकतंत्र के लिए

- गैर-कार्यात्मक एसआईसी सुशासन सिद्धांतों को कमजोर करते हैं।
- यह अनुच्छेद 19 (1) (ए) – भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भावना का उल्लंघन करता है, क्योंकि सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है।

चुनौतियों

- रिक्तियां और अंडरस्टाफिंग: समय पर नियुक्तियों का अभाव।
- भारी पेंडेंसी: लाखों मामले लंबित, निपटान दर बहुत कम
- संस्थागत कमजोरी: सीमित स्वायत्तता, बजटीय बाधाएं।
- राजनीतिक प्रतिरोध: आरटीआई प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए अनिच्छुक सरकारें।

निष्कर्ष:

आरटीआई अधिनियम भारतीय लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक सुधार था, लेकिन इसकी प्रभावशीलता को गैर-कार्यात्मक आयोगों और बढ़ते लंबित मामलों के कारण कम किया जा रहा है। आरटीआई को एक सार्थक उपकरण बने रहने के लिए, समय पर नियुक्तियां, पर्याप्त स्टाफ, प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और संस्थागत स्वायत्तता को मजबूत करना आवश्यक है। आरटीआई व्यवस्था का स्वास्थ्य सीधे तौर पर भारतीय लोकतंत्र की ताकत और शासन में पारदर्शिता को दर्शाता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. यह केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है।
2. आयुक्तों की नियुक्ति क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा की जाती है।
3. यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक वैधानिक अधिकार है।

विकल्प:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न : "सूचना का अधिकार अधिनियम पारदर्शिता सुनिश्चित करने में एक मील का पत्थर था, लेकिन सूचना आयोगों में रिक्तियों और लंबित मामलों के कारण इसके कार्यान्वयन को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गंभीर रूप से चर्चा करें। (150 शब्द)

Page 06 : GS 2 : Governance

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने अपनी 2023 अपराध रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत में उभरते अपराध पैटर्न पर प्रकाश डाला गया है। जबकि कुल हत्या के मामलों में कमी आई (-2.8%), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के खिलाफ अपराधों में चिंताजनक 28.8% की वृद्धि हुई है और साइबर अपराधों में 31.2% की वृद्धि हुई है। ये रुझान कमजोर समुदायों में शासन, कानून प्रवर्तन और सामाजिक न्याय के बारे में चिंताएं पैदा करते हैं।

स्थैतिक संदर्भ (पृष्ठभूमि)

• एनसीआरबी

- गृह मंत्रालय के तहत 1986 में स्थापित।
- अपराध डेटा (आईपीसी + विशेष और स्थानीय कानून) एकत्र करता है, विश्लेषण करता है और प्रकाशित करता है।
- भारत में अपराध, आकस्मिक मौतों, आत्महत्याओं और जेल के आंकड़ों पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

• एनसीआरबी डेटा की प्रासंगिकता

- नीति निर्माताओं, कानून प्रवर्तन, न्यायपालिका और शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है।
- अपराध हॉटस्पॉट और उभरते खतरों की पहचान करने में मदद करता है।
- चेतावनी: अपराध डेटा अक्सर रिपोर्टिंग स्तरों पर निर्भर करता है (अंडर-रिपोर्टिंग/ओवर-रिपोर्टिंग सटीकता को प्रभावित करती है)।

• कानूनी ढांचे

- पॉक्सो अधिनियम, 2012 – यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण।
- आईटी अधिनियम, 2000 + संशोधन - साइबर अपराध।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 – कमजोर समुदायों की रक्षा करता है।

वर्तमान संदर्भ (समाचार विशिष्टताएँ - NCRB 2023 निष्कर्ष)

• समग्र रुझान

- हत्या के मामले: ↓ 2.8%।
- महिलाओं के खिलाफ अपराध: ↑ 0.4% (लेकिन दहेज से संबंधित अपराध ↑ 14.9%)।
- बच्चों के खिलाफ अपराध: ↑ 9.2% (1,77,335 मामले; 96% मामलों में अपराधी पीड़ित को जाना जाता था)।

• अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के खिलाफ अपराध

- ↑ 2023 में 28.8%।
- मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण बड़ी वृद्धि (मामले 2022 में 1 से बढ़कर 2023 में 3,399 हो गए)।
- मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी उच्च अपराध दर दर्ज की गई है, जो जनजातीय भेद्यता को दर्शाती है।

Crime patterns

The 2023 NCRB report shows rise in cybercrime and crimes against tribals

The National Crime Records Bureau's annual reports on crime and prison statistics have to be read with a strong caveat – most of the numbers cannot be compared between States because they are largely dependent upon the registration/reporting of crimes in the first place. However, certain national trends and sharp year-on-year changes within States can still reveal meaningful patterns that could demand policy intervention. The recent NCRB report for 2023 – delayed by a year – points to a worrying trend of postponed surveys, reports and even the Census under the current Union Government. But there are also three telling numbers: the 2.8% decrease in murder cases across the country; a staggering 28.8% surge in crimes against Scheduled Tribes (ST), and a 31.2% increase in cyber crimes. While the decrease in murder cases will come as a relief to law enforcement – most of the cases pertain to disputes, personal vendetta or enmity and “gain” – the other two numbers are alarming. The steep rise in crimes against STs is largely due to the ethnic violence in Manipur, with the registered numbers jumping from just one in 2022 to 3,399 in 2023 – which a more effective government could have mitigated. Madhya Pradesh and Rajasthan also recorded significantly high crime rates against tribals suggesting their vulnerability in the central Indian States. This is not a new phenomenon; previous NCRB reports have highlighted higher crime rates in regions with significant tribal populations.

With greater Internet penetration across the country, there has been an increase in cyber-crime, particularly related to financial fraud and sexual exploitation. Anecdotally, it is evident that these numbers must have gone up even further in the last two years with the greater use of digital financial instruments in daily transactions and investment. While policing has tried to keep up with the growing menace of cybercrime, with specialised cells, the ubiquitousness and deepening spread of digital crimes require more sophistication and dedication by the police to tackle them. Crimes against children rose by 9.2% in 2023 – with the offender known to the victim in 96% of the cases. While the increase could be a function of improved reporting across States, the high number (1,77,335 cases) suggests that States must work on a war footing to sensitise children about these crimes and inappropriate behaviour by adults. A subset of these crimes could also include the application of the POCSO Act in the case of consensual adolescent relationships and this is an area that needs to be carefully handled by the prosecuting and policing agencies. Reported crimes against women registered a modest increase of 0.4%, but this masks a 14.9% spike in dowry-related crimes, pointing to a persistent societal problem.

- **साइबर अपराध**

- ↑ 2023 में 31.2%।
- ज्यादातर वित्तीय धोखाधड़ी और यौन शोषण से संबंधित हैं।
- गहरी इंटरनेट पहुंच और डिजिटल वित्तीय उपयोग से प्रेरित।
- पुलिसिंग चुनौतियाँ: इंटरनेट की सर्वव्यापी प्रकृति, अपराधियों की गुमनामी, सीमा पार के मुद्दे।

महत्व:

शासन के लिए

- जातीय हिंसा (जैसे, मणिपुर) के प्रबंधन में कानून-व्यवस्था की चुनौतियों को दर्शाता है।
- साइबर अपराध से निपटने में संस्थागत अंतराल को इंगित करता है।

कमजोर समूहों के लिए

- अनुसूचित जनजातियां अत्याचार, विस्थापन और हिंसा के अत्यधिक संपर्क में हैं।
- पॉक्सो और दहेज निषेध अधिनियम जैसे मौजूदा कानूनों के बावजूद बच्चे और महिलाएं असुरक्षित बनी हुई हैं।

नीति निर्माण के लिए

- विशेष साइबर अपराध इकाइयों, फॉरेंसिक क्षमता और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता पर जोर दिया
- आदिवासियों के लिए समुदाय आधारित सुरक्षा तंत्र के महत्व पर प्रकाश डाला

चुनौतियों

- कम रिपोर्टिंग और विलंबित डेटा: एनसीआरबी 2023 रिपोर्ट में 1 वर्ष की देरी हुई।
- पुलिसिंग क्षमता: राज्यों में पर्याप्त डिजिटल पुलिसिंग कौशल की कमी है।
- न्यायिक देरी: अदालतों में आपराधिक मामलों की भारी पेंडेंसी।
- सामाजिक मुद्दे: लगातार दहेज हत्याएं, जाति-आधारित हिंसा और लिंग अपराध।

निष्कर्ष:

एनसीआरबी 2023 रिपोर्ट भारत की सामाजिक वास्तविकताओं का दर्पण है। जबकि हत्याओं में गिरावट आ रही है, साइबर अपराध और आदिवासियों के खिलाफ अपराधों में तेजी से वृद्धि पुलिसिंग, न्याय वितरण और सामाजिक सुरक्षा में तत्काल सुधार की मांग करती है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने और न्याय बनाए रखने के लिए संस्थागत क्षमता को मजबूत करना, डिजिटल पुलिसिंग में सुधार करना और कमजोर समूहों के लिए समावेशी शासन सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: "एनसीआरबी 2023 के आंकड़ों से पता चलता है कि अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों और साइबर अपराधों में खतरनाक वृद्धि हुई है। अंतर्निहित कारणों पर चर्चा करें और इस संदर्भ में भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाएं। (150 शब्द)"

The real need is a holistic demographic mission

The announcement on August 15, 2025, of a demographic mission, has become a topic of controversy in social and political circles. While the stated mission was limited to monitoring undocumented immigration from Bangladesh and its implied demographics in India's border regions, a holistic demographic mission seems to be the need as the nation is at the demographic crossroads. The most populous nation, with a large youth demography, undoubtedly becomes a matter of global envy and local pride. The demographics have never assumed significance in policy circles except for its relevance in population control. Demographic diversity is a blessing in disguise to sustain India's population well into the next century. Reading India's demographics may not essentially be limited to the country per se but has to be in relative terms with other global regions.

Need for a broader scope

A demography mission requires examining the kind of demographic transformation that has taken place over the last two decades. Demographic imaginations relating to the three demographic components of fertility, mortality and migration are quite limiting but have broader implications towards regional distribution of the age-sex composition of population and households. The agenda of a demography mission should not necessarily be limited to reading the future of demography but in recognition of emerging population features in terms of capabilities such as education, health and livelihood features alongside the evolving institutions in response to the migration transition. From a human capability standpoint, a demography mission needs to address the



S. Irudaya Rajan

is Chair at the International Institute of Migration and Development (IIMAD), Kerala



U.S. Mishra

is Honorary Visiting Professor at the International Institute of Migration and Development (IIMAD), Kerala

A true demography mission needs to examine India's various transformations

imbalanced infrastructure to generate human capabilities across regions. Consider the case of education and skill capabilities or a 'dream India' emerging as a skill capital in the world – the educational infrastructure remains skewed across regions and is not in keeping with middle class aspirations. This results in inequities with the affluent being able to achieve things as against the less affluent failing to do so.

Issue of migration

While there have been major advances on the fertility and mortality fronts, migration seems to be a major population balancer across regions. Hence, policies need to be in place to make the choice of migration equal for everyone. But then the political discourse on migration is quite adverse within India. Despite the constitutional guarantee of a free mobility of individuals across all States, migrant identity is often threatened on various grounds. First, this is not a stated identity but rather a constructed one. Therefore, the protection of such an identity should ideally rest with the state rather than the individual.

Another complexity is the home and host attribute which needs to have an equal stake apart from the individual who is a migrant. The current political discourse on this subject is on disenfranchising migrants from their right to voting at home as they do not qualify to be the 'usual resident of the place'.

The same right could perhaps be bestowed on them by the host place, where they are equally disenfranchised. This raises a question on whether migrants face a constant battle of belonging. Resolving this puzzle that internal migrants confront should be the agenda of a demographic mission which should strive to

restore migrant rights.

On longevity

The changing demography also poses other puzzles such as growing longevity and the provisioning of social security. There is sincere engagement on this issue to redefine ageing and economically productive years of life, where the young and the old equally remain productive as long as they remain healthy and active. The other implication of social security protection being the sole responsibility of the state needs a relook as well, with employers preparing employees to remain financially secure for their non-earning years of life. The entire scene of provisioning of social security needs a rethink with there being extended years of life.

Recognition of changing demographics is perhaps necessary in all possible planning, policy making, evaluation and monitoring. While there are plethora of indicators being made available to celebrate progress and achievements, one wonders whether they are able to account for changing demographics. When it comes to allocation and provisioning too, demographics should dictate the priorities. Unfortunately, the per capita hangover continues to prevail which ignores the composition of the population in the denominator. A demography mission's foundation lies in the demographic sensitisation of a whole lot of intellectual discourse on mainstreaming, marginalisation and inclusion. Demography is not a mere discipline to offer a retrospective and prospective dimension of population. It is the foundation to build the future of humanity with a suitable alteration in strategies in keeping with the evolving global order.

GS. Paper 1— सामाजिक मुद्दे

UPSC Mains Practice Question: "भारत जनसांख्यिकीय चौराहे पर खड़ा है। भारत में प्रवासन, वृद्धावस्था और क्षेत्रीय असमानताओं पर केंद्रित एक समग्र जनसांख्यिकीय मिशन की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।" (150 Words)

संदर्भ:

15 अगस्त, 2025 को, भारत ने एक नए जनसांख्यिकीय मिशन की घोषणा की, जो मुख्य रूप से बांग्लादेश और सीमावर्ती क्षेत्रों से अनिर्दिष्ट आप्रवासन की निगरानी पर केंद्रित है। हालांकि, विशेषज्ञों का तर्क है कि भारत को एक समग्र जनसांख्यिकीय मिशन की आवश्यकता है जो प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, प्रवासन, उम्र बढ़ने और क्षेत्रीय असमानताओं की व्यापक चुनौतियों का समाधान करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण से परे हो। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले राष्ट्र के रूप में, भारत के जनसांख्यिकीय पैटर्न राष्ट्रीय नीति और वैश्विक चर्चाओं दोनों के केंद्र में हैं।

स्थैतिक संदर्भ (पृष्ठभूमि)

- जनसांख्यिकी: जनसंख्या संरचना का अध्ययन, जिसमें प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और प्रवासन की प्रवृत्ति शामिल है।
- भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश:
 - भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी (~ 65% 35 वर्ष से कम) है।

- कामकाजी उम्र की आबादी (15-64 वर्ष) के 2041 तक चरम पर पहुंचने की उम्मीद है।
- इसका उपयोग करने के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
- **प्रमुख चुनौतियाँ:**
 - जनसंख्या की उम्र बढ़ना (बुजुर्ग आबादी में वृद्धि)।
 - आंतरिक प्रवासन और क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय असंतुलन।
 - कौशल अंतराल और असमान बुनियादी ढांचे का विकास।

वर्तमान संदर्भ (लेख से प्रमुख मुद्दे)

1. व्यापक दायरे की आवश्यकता

- जनसांख्यिकी केवल जनसंख्या के आकार के बारे में नहीं है, बल्कि आयु वितरण, क्षेत्रीय विविधताओं और क्षमताओं (शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य) के बारे में भी है।
- नीतियों को जनसांख्यिकीय परिवर्तन में क्षेत्रीय असमानताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

2. प्रवासन

- प्रवासन सभी क्षेत्रों में एक प्रमुख जनसांख्यिकीय चालक के रूप में उभर रहा है।

मुद्दे:

- गतिशीलता के संवैधानिक अधिकार के बावजूद प्रवासी पहचान को अक्सर खतरा →।
- राजनीतिक प्रवचन प्रवासियों को मताधिकार से वंचित करता है (उदाहरण के लिए, मतदान अधिकार, "सामान्य निवासी" स्थिति)।
- मेजबान क्षेत्र अक्सर प्रवासियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रखते हैं।
- एक जनसांख्यिकीय मिशन में प्रवासी संरक्षण और एकीकरण शामिल होना चाहिए।

3. दीर्घायु और बुढ़ापा

- बढ़ती जीवन प्रत्याशा सामाजिक सुरक्षा और पेंशन प्रणालियों के लिए चुनौतियाँ पैदा करती है।
- वर्तमान मॉडल राज्य के समर्थन पर बहुत अधिक निर्भर करता है; कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के लिए तैयार करने वाले नियोजकों के साथ एक साझा मॉडल की आवश्यकता है।
- जीवन के लंबे उत्पादक वर्ष बुजुर्गों के आर्थिक योगदान को फिर से परिभाषित → हैं।

4. नीतिगत निहितार्थ

- जनसांख्यिकी को योजना, नीति निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन में शामिल किया जाना चाहिए।
- समावेशन, हाशिए और विविधता के मुद्दों → जनसांख्यिकीय संवेदीकरण की आवश्यकता है।

महत्व:

भारत के लिए

- युवा कौशल और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करके जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने में मदद करता है।
- आंतरिक असमानताओं (क्षेत्रीय प्रवासन, बुनियादी ढांचे की कमी) को संबोधित करता है।

- वृद्ध आबादी बढ़ने के साथ स्थायी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

शासन के लिए

- स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और प्रवासन नीतियों को जोड़ने वाला समग्र ढांचा प्रदान करता है।
- जनसंख्या के मुद्दों के लिए खंडित, अल्पकालिक राजनीतिक दृष्टिकोण से बचा जाता है।

वैश्विक संदर्भ के लिए

- भारत, दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले राष्ट्र के रूप में, जनसांख्यिकीय शासन के लिए एक मॉडल हो सकता है।
- इसकी जनसांख्यिकीय नीतियां श्रम बाजारों, वैश्विक प्रवासन और आर्थिक रुझानों को प्रभावित करती हैं।

चुनौतियों

- राजनीतिक संवेदनशीलता: प्रवासन और जनसंख्या बहस का अक्सर राजनीतिकरण किया जाता है।
- कार्यान्वयन अंतराल: जनसांख्यिकीय नियोजन में कमजोर राज्य-स्तरीय क्षमताएं।
- सामाजिक असमानताएं: प्रजनन क्षमता, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में क्षेत्रीय असमानताएं।
- संस्थागत कमजोरी: एक केंद्रीय समन्वयक जनसांख्यिकीय प्राधिकरण की अनुपस्थिति।

निष्कर्ष:

भारत एक जनसांख्यिकीय चौराहे पर खड़ा है। आव्रजन नियंत्रण या जनसंख्या के आकार पर एक संकीर्ण ध्यान अपर्याप्त होगा। एक समग्र जनसांख्यिकीय मिशन को प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, प्रवासन, उम्र बढ़ने और क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करना चाहिए। इसे शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा को नीतिगत ढांचे में एकीकृत करना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत की जनसांख्यिकीय विविधता एक चुनौती के बजाय एक सच्ची ताकत बन जाए।